C.NO. 211/2025 इमरान [illegible] V/s सरकार

06/1/26 पत्रावली पेश हुई। वकील परिवादी उप। वकील प्रार्थी की मूल प्रा०पत्र पर एवं जिरह प्रा०पत्र पर बहस सुनी गई। प्रा०पत्र आदेशित किया गया। विस्तृत आदेश पृथक से लेख कर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुदा होकर नस्ती कार्यालय हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 211/2023

श्योजी पुत्र छीतर जाति गुर्जर निवासी नया शहर किशनगढ जिला अजमेर राज.।

— प्रार्थी

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान। — अप्रार्थीगण

निर्णय बाजदायरी प्रार्थना पत्र

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री अभिषेक सिंह राजपुरोहित

निर्णय दिनांक 06.01.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से वकील प्रार्थी द्वारा बाजदायरी प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्त० अधि. माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था, जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.2018 को अदम् हाजरी अदम् पैरवी में निरस्त फरमा दिया गया। दिनांक 12.012.2018 को प्रकरण में बरवक्त दिलाये जाने आवाज अभिभाषक प्रार्थी श्री प्रतिक मेहता जी एडवोकेट की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष न तो उक्त प्रकरण में अग्रीम कार्यवाही हेतु समय हेतु निवेदन किया गया न ही माननीय न्यायालय के समक्ष पैरवी हेतु उपस्थित हुए, इसलिए माननीय न्यायालय ने दिनांक 12.12.2018 को प्रार्थी अभिभाषक की ओर से कोई हिदायत पैरवी नहीं प्रकट करते हुए अदम् हाजरी एवं अदम् पैरवी में उक्त प्रकरण पत्र निरस्त फरमा दिया गया। उपरोक्त उनवाजी प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रहते हुए प्रार्थी अभिन्नापक श्री प्रतिक मेहता जी माननीय ज्यायालय के समक्ष उपस्थित होते रहे। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी को अपने अभिभाषक महोदय द्वारा यह हिदायत दी नई कि आपको प्रत्येक तारीख पेशी को न्यायालय में उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है, जब भी आपकी उपस्थिति या माननीय न्यायालय द्वारा कोई भी आदेश पारित होने पर वा उक्त उजवानी प्रकरण सम्बन्धी किसी भी प्रकार से कार्यवाही होने पर आपको पत्र व्यवहार द्वारा सूचना दे दी जायेगी, तब आकर सम्पर्क कर लेना, इसलिए दिनांक 12.12.2018 को प्रार्थी अभिभाषक की हिदायत अनुसार माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका तथा उक्त तारीखा पेशी को न ही प्रार्थी अभिभाषक माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर हुए, इसलिए माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को अवम् हाजरी एवं अदम् पैरवी में निरस्त फरमा दिया गया। प्रार्थी द्वारा नियुक्त अभिभाषक महोदय द्वारा प्रार्थी के प्रकरण को अदम् हाजरी एवं अदम् पैरवी दिनांक 12.12.2018 को माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त फरमा दिया गया, तत्पश्चात् प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा न तो प्रार्थी को कोई सूचना दी गई न ही प्रार्थी के अभिभाषक ने उक्त प्रकरण को पुनः नम्बर पर लेने हेतु कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई। कोराना काल में अभिभाषक से सम्पर्क नही सका तथा अभिभाषक ने भी कोई जानकारी नहीं दी गई, दिनांक 10.08.2023 को अभिभाषक से सम्पर्क करने पर उक्त आदेश की जानकारी होने पर प्रार्थी ने उक्त आदेश के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु अभिभाषक नियुक्त किया, जिनसे सलाह ली तब प्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थी को उक्त आदेश के विरुद्ध बाजदायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा, अतः प्रार्थी अविलम्ब आदेश दिनांक 12.12.2018 के विरुद्ध यह वाजदावरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है। बाजदायरी प्रार्थना पत्र संलग्न प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित आधारों के अनुसार अन्दर मयाद शुमार किया जाना अत्यावश्यक है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त उनवानी राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 178/2011 "श्योजी बनाम राज० सरकार" वास्ते सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लेने का आदेश प्रदान करावें।

वकील प्रार्थी द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी ने उपरोक्त उनवानी बाजदायरी प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें कामयाबी की पूर्ण आशा है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की सर्व प्रथम जानकारी प्रार्थी को दिनांक 10.08. 2023 को हुई, जब प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में अपने अभिभाषक महोदय से सम्पर्क किया तो

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

बताया कि उक्त प्रकरण काफी समय पूर्व ही निरस्त फरमा दिया गया है, जबकि प्रार्थी के अभिभाषक महोदय द्वारा दी गई हिदायत के अनुसार प्रार्थी को प्रत्येक तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है, जब भी उसकी उपस्थिति या माननीय न्यायालय द्वारा कोई भी आदेश पारित होने पर या उक्त उनवानी प्रकरण सम्बन्धी किसी भी प्रकार से जानकारी के अभाव होने पर आपको पत्र व्यवहार द्वारा सूचना दे दी जायेगी, तब आकर सम्पर्क कर लेना, इसलिए दिनांक 12.12.2018 को प्रार्थी अभिभाषक की हिदायत अनुसार माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका तथा उक्त तारीख पेशी को न ही प्रार्थी अभिभाषक माननीय न्यायालय के समक्ष हाजीर हुए, इसलिए माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को अदम् हाजरी एवं अवम् पैरवी में निरस्त फरमा दिया गया, जिसमें प्रार्थी की कोई लापरवाही या दुर्भावना नहीं है। प्रार्थी अपने अभिभाषक से दिनांक 10.08.2023 को सम्पर्क करने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानकारी होने के पर दिनांक 11. 08.2023 को उक्त आदेश की नकल लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया, जो दिनांक 14.08.2023 को नकल प्राप्त हुई तत्पश्चात फीस व खखर्चे की व्यवस्था कर, अभिभाषक नियुक्त कर, उक्त प्रार्थना पत्र जानकारी से आज दिनांक को बिना किसी विलम्ब के माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त उनवानी प्रकरण को पुनः नम्बर पर लेने हेतु बाजदायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है, जिसको अन्दर मयाद शुमार किया जाना अत्यावश्यक है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा दुर्भावना नहीं की है, यदि उक्त प्रार्थना पत्र को अन्दर मयाद शुमार नहीं फरमाया गया, तो प्रार्थी के हक व अधिकारों पर कुठाराघात होगा। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बाजदायरी प्रार्थना पत्र को तारीख जानकारी से अन्दर मयाद शुमार किये जाने का आदेश प्रदान करावें एवं प्रकरण को गुणावगुण पर सुनवाई किया जाना न्यायहित में आवश्यक है

हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम हम धारा 05 मियाद अधि. के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित समझतें है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 12.12.2018 से दिनांक 16.08.2023 लगभग 05 वर्ष की अवधि के विलम्ब का कोई ठोस एवं सन्तोषजनक कारण उल्लेख नहीं किया गया है जिससे मियाद प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जा सके। अतः प्रार्थी का धारा 05 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाता है।

हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा मूल प्रार्थना पत्र क्रमांक 178/2011 उनवान श्योजी बनाम सरकार खारिज दिनांक 12.12.2018 को पुनः प्रत्यास्थापन करने बाबत पेश किया गया है। प्रकरण क्रमांक 178/2011 उनवान श्योजी बनाम सरकार प्रार्थी अधिवक्ता को दिनांक 12.12.2018 को न्यायालय समय तक तीन बार आवाज लगवाई गई थी किन्तु वे अनुपस्थित रहे थे जिसके फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में दिनांक 12.12.2018 को खारिज कर दिया गया था। दिनांक 12.12.2018 को वाद खारिज होने के बाद प्रार्थी एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 16.08.2023 को रिस्टोरेशन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। दिनांक 12.12.2018 से दिनांक 16.08.2023 लगभग 05 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के बाद प्रार्थी एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उक्त पुनः प्रत्यास्थापन प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें उनके द्वारा लगभग 05 वर्ष की अवधि के विलम्ब का कोई ठोस कारण उल्लेखित नहीं किया गया है अर्थात प्रार्थी एवं प्रार्थी अधिवक्ता अपनी अनुपसंजाति के लिये पर्याप्त हेतुक देने में असफल रहें हैं। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का बाजदायरी प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 6.1.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(रजत यादव I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)